रजिस्टर्ड नं० एल० ३८६

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 22 अक्तूबर, 1973

आश्विन 30, 1895 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 3448/सत्रह-वि0-1–24-1973

लखनऊ, 22 अक्तूबर, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973 पर दिनांक 17 अक्तूबर, 1973 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1973)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

बैंकों तथा अन्य संस्थागत उधार अभिकरणों के माध्यम से कृषि उत्पादन और विकास के निमित्त उधार की गति को पर्याप्त एवं सुगम बनाने तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तद्वर्थ नियत करे ।

परिभाषायें

2—जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) "कृषि" तथा "कृषि प्रयोजन" में भूमि को खेती के योग्य बनाना, खेती करना, भूमि-सुधार जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास करना, फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना भी सम्मिलित है, उद्यान-कृषि, वन-विज्ञान, पशु-प्रजनन, पशु-पालन, दुग्ध-उद्योग, शूकर-पालन, कुक्कुट-पालन, बीज-कृषि, मत्स्य-पालन, मधुमक्खी-पालन, रेशम-उत्पादन तथा ऐसे अन्य क्रिया-कलाप जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और जिनके अन्तर्गत कृषि-उत्पाद का क्रय-विक्रय, उनका संग्रहण तथा परिवहन और ऐसे किसी भी क्रिया-कलाप से सम्बन्धित उपकरणों तथा मशीन का अर्जन भी है, सम्मिलित हैं ;

(ख) "कृषक" का तात्पर्य कृषि में लगे व्यक्ति से है;

(ग) "बैंक" का तात्पर्य—

(1) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी;

(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इंडिया;

(3) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा परिभाषित सब्सीडियरी बैंक;

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित तत्सम्बन्धी नये बैंक;

(5) बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंककारी संस्था;

(6) एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन संघटित कृषि पुनर्वित्त निगम;

(7) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड नामक कम्पनी;

(8) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन, लिमिटेड कम्पनी; और

(9) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक के रूप में, गजट में, अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था,

से है;

(घ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सहकारी समिति से है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देना हो, तथा इसके अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक भी है;

(ङ) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऋणों, अग्रिम, प्रत्याभूति या अन्य रूप में (1) या तो किसी कृषक को कृषि प्रयोजनार्थ, अथवा (2) किसी सहकारी समिति को कृषि प्रयोजनार्थ अपने सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम देने के लिए स्वीकृत सहायता से है;

(च) "भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि," का तात्पर्य समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार-बाबर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

अध्याय 2

बैंकों के पक्ष में भूमि अथवा भूमि में हित को संक्रामण करने का कृषकों का अधिकार

3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायं, समस्त सीरदारों, असामियों अथवा सरकारी पट्टेदारों या सीरदारों, असामियों अथवा सरकारी पट्टेदारों के किसी भी वर्ग को उनके खाते के अधीन धृत भूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभार सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधिकार भी है, सामान्यतया बैंकों या किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के प्रयोजनार्थ संक्रामण करने का अधिकार निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर, ऐसे सीरदार, असामी अथवा सरकारी पट्टेदार को, भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि अथवा गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, 1895 (जैसा कि उसे उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया गया) में अथवा किसी अन्य विधि या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रामण करने का अधिकार होगा।

संक्रामण के अधिकार ऐसे कृषकों में निहित करना जिनके पास ऐसे अधिकार न हों

4—(1) किसी कृषक के लिए किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त अपने स्वामित्वाधीन जंगम सम्पत्ति अथवा अपने द्वारा उगाई गई फसल पर, चाहे वह खड़ी हो अथवा न खड़ी हो, या अपने द्वारा कृष्ट भूमि की अन्य उपज पर, उस सीमा तक जहां तक उसमें उसका हित हो, उस बैंक के पक्ष में, प्रभार सृजित करना वैध होगा, भले ही वह ऐसे भूमि का, जिस पर तथा जिससे फसल उगाई जाय, स्वामी न हो।

बैंक के पक्ष में फसल तथा अन्य जंगम सम्पत्ति पर प्रभार

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति को देय किसी ऋण अथवा अन्य बकाया मांग के संबंध मे किसी प्रभार को, उसके द्वारा उगाई गयी फसल चाहे वह खड़ी हो या न खड़ी हो, अथवा किसी अन्य जंगम सम्पत्ति पर जिसके सम्बन्ध में उसे किसी बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी हो, प्रभार से पूर्विकता न मिलेगी, बशर्ते बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता सहकारी समिति के ऋण या मांग से समय की दृष्टि में पूर्व की हो।

5—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बैंक राज्य सरकार के किसी ऐसे पदाधिकारी के माध्यम से, जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, बैंक के पक्ष में प्रभारित फसल अथवा अन्य उपज या अन्य जंगम सम्पत्ति को उस सीमा तक, जहां तक कृषक का उसमें हित हो, अभिहरित तथा उसकी बिक्री कर सकता है, और सरकारी देयों तथा अन्य पूर्विक प्रभारों को, यदि कोई हों, चुकता करने के पश्चात् ऐसी बिक्री के आगम को कृषक द्वारा बैंक को देय धनराशि की सीमा तक विनियोजित कर लेगा और ऐसी दशा में शेष, यदि कोई हो, कृषक को दे दिया जायगा।

उपज तथा जंगम सम्पति का अभिहरण और विक्रय

6—(1) यदि कोई कृषक बैंक द्वारा उसे दी जाने वाली किसी वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करता है तो वह अनुसूची में दिये गये प्रपत्र भ या परिस्थितियों के अनुसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह ऐसी भूमि, अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जैसी भी दशा हो, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है।

घोषणा द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि पर प्रभार सृजित करना

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में उस बैंक की सहमति से, जिसके पक्ष में घोषणा की गई है, कृषक द्वारा समय-समय पर फेरफार की जा सकती है।

अध्याय 3

बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक और उनकी पूर्विकताय

7—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तथा इस बात के होते हुए भी कि कोई भूमि अथवा उसमें निहित हित पहले से ही किसी सहकारी समिति के प्रति भारित अथवा बंधकित है किसी कृषक के लिए बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा उसे दी गयी किसी वित्तीय सहायता के निमित्त प्रतिभूति स्वरूप ऐसी भूमि अथवा उसमें हित को भारित करना या बंधक रखना वैध होगा।

प्रभार सृजित करने तथा बंधक रखने में निर्योग्यता का हटाया जाना

8—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी—

(क) सरकार के पक्ष में किसी भूमि अथवा उस में हित पर सृजित किसी प्रभार या बन्धक को किसी ऐसे अन्य प्रभार या बंधक पर पूर्विकता दी जायगी जो किसी कृषक द्वारा ऐसी भूमि या हित पर सरकार के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के दिनांक के पूर्व बैंक या सहकारी समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो;

सरकार, बैंक तथा सहकारी समिति के पक्ष में प्रभारों और बंधकों की पूर्विकता

(ख) किसी भूमि अथवा उसमें हित पर किसी बैंक के पक्ष में बैंक द्वारा कृषक को प्रदत्त वित्तीय सहायता के संबंध में सृजित प्रभार अथवा बन्धक को सरकार, सहकारी समिति अथवा अन्य किसी बैंक से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके हित पर सृजित किसी ऐसे प्रभार अथवा बन्धक की अपेक्षा पूर्विकता प्राप्त होगी जो उक्त बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार अथवा बन्धक के दिनांक के पूर्व सृजित किया गया हो;

(ग) जहां कि किसी कृषक द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा बैंक अथवा एकाधिक बैंक के पक्ष में एक ही भूमि अथवा उसमें हित पर विभिन्न प्रभार अथवा बन्धक सृजित किये गये हों, वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में सहकारी समिति अथवा बैंक या बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में सृजित ऐसे प्रभार अथवा बन्धक को सहकारी समिति अथवा अन्य बैंकों के पक्ष में सृजित अन्य प्रभारों अथवा बन्धकों की अपेक्षा पूर्विकता दी जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति अथवा बैंक को विकास के प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता की पूर्व नोटिस दे दी गई हो तथा ऐसी सहकारी समिति अथवा ऐसे बैंक ने ऐसी वित्तीय सहायता के निमित्त सहमति दे दी हो, एवं जहां दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी गयी वित्तीय सहायता के निमित्त प्रतिभूति के रूप में एकाधिक ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित हुआ हो वहां विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऐसे प्रभारों अथवा बन्धकों को उनके सृजित होने के दिनांक के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "विकास प्रयोजनार्थ दीर्घकालीन ऋण" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जिसकी परिणति सामान्यतया कृषि के विकास अथवा कृषीय परिसम्पत्तियों के निर्माण में हो किन्तु इसके अन्तर्गत लागत पूंजी परिव्ययों, मौसमी कृषीय क्रियाओं तथा फसलों के क्रय-विक्रय में लगाने के निमित्त वित्तीय सहायता नहीं है ।

(2) इस धारा में कोई भी बात केवल एक या एकाधिक सहकारी समिति या समितियों, जिसके अन्तर्गत भूमि विकास बकों अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बक अधिनियम, 1964 में यथा-परिभाषित राज्य भूमि विकास बैंक भी है, मात्र से ऋण ग्रहण पर लागू नहीं होगी ।

बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक का रजिस्ट्रीकरण

9—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा प्रभार जिसके सम्बन्ध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गयी हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन फेरफार की गई हो अथवा किसी भूमि अथवा उसमें हित पर अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर किसी कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में उक्त बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक, जैसी भी दशा हो, के निष्पादन के दिनांक से रजिस्ट्रीकृत माना जायगा बशर्ते कि बैंक ने उसे उप-रजिस्ट्रार के पास, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर भारित अथवा बन्धकित सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः स्थित हो, ऐसे निष्पादन के दिनांक से एक महीने के भीतर प्राप्ति स्वीकृति सूचक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसा प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक सृजित करने वाले लेख्य की बैंक के किसी ऐसे नियोजिती द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि, जो तदर्थ हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत हो, भेज दी गयी हो, तथा उप-रजिस्ट्रार ने उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा दिया हो ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रभार, फेरफार अथवा बन्धक के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त करने वाला उप-रजिस्ट्रार उसके प्राप्त होने पर यथासम्भव शीघ्र, तथा यह अभिनिश्चय करने के उपरान्त कि लेख्य जिसमें यथास्थिति, घोषणा , फेरफार अथवा बन्धक है, यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर लिखा गया है, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा देगा ।

(3) यदि उप-रजिस्ट्रार की राय हो कि, यथास्थिति, घोषणा फेरफार अथवा बन्धक यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर नहीं किया गया है तो वह लेख्य की प्रति को बक के पास यह अपेक्षा करते हुए वापस कर दगा कि बैंक कृषक से तीस दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप-रजिस्ट्रार तदर्थ अनुज्ञात करे, स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दे ।

(4) स्टाम्प की कमी पूरित होने के उपरान्त बैंक उपधारा (1) में उल्लिखित रीति से लेख्य की प्रति उप-रजिस्ट्रार के पास फिर भेजेगा तथा उप-रजिस्ट्रार तदुपरान्त उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उसकी प्रति बुक संख्या 1 में लगा देगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, कृषक अथवा बैंक के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं अथवा एजेंट द्वारा ऐसे लेख्य के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में अथवा उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन विहित रीति से हस्ताक्षर करने के निमित्त रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो ।

किसी बैंक तथा सहकारी समिति के मध्य विवाद

15—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति अथवा उसकी कमेटी द्वारा समिति के किसी सवेतन कर्मचारी के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विवादों से भिन्न, सहकारी समिति को वित्तीय सहायता देने वाले बैंक तथा ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी समिति के मध्य सहकारी समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य से संबंधित कोई विवाद निर्णय के लिये विवाद के किसी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा।

(2) पूर्ववर्ती उपधारा के प्रयोजनार्थ यदि यह प्रश्न उठे कि निर्णय के लिये अभिदिष्ट कोई मामला विवाद है अथवा नहीं तो यह प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा निर्णीत किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

विवादों का निपटारा

16—(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि कोई मामला जो उसे अभिदिष्ट किया गया है अथवा उसकी जानकारी में लाया गया है, धारा 15 के अन्तर्गत विवाद है तो रजिस्ट्रार स्वयं विवाद का निर्णय करेगा अथवा उसे अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निस्तारण के लिये अभिदिष्ट कर देगा।

(2) यदि पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन कोई विवाद रजिस्ट्रार के नामांकिती के पास अभिदिष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार ऐसे विवाद को किसी भी समय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अपने नामांकिती से वापस ले सकता है और विवाद को स्वयं निर्णीत कर सकता है अथवा उसे पुनः अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास निर्णयार्थ अभिदिष्ट कर सकता है।

(3) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किसी सहकारी समिति और किसी बैंक के मध्य विवाद-ग्रस्त प्रश्न ऐसा है जिसमें विधि तथा तथ्य संबंधी जटिल प्रश्न सन्निहित है तो वह, आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही तब तक के लिये रोक सकता है, जब तक कि प्रश्न का विचारण विवाद के किसी पक्षकार द्वारा संस्थित नियमित वाद द्वारा न हो जाय। यदि ऐसे आदेश के दो मास के भीतर कोई वाद संस्थित न किया जाय तो रजिस्ट्रार उपधारा (1) में व्यवस्थित कार्यवाही करेगा।

रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती का निर्णय

17—(1) जब विवाद निर्णयार्थ अभिदिष्ट किया जाय तो रजिस्ट्रार अथवा उसका नामांकिती विवाद के पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद, कार्यवाही के संबंध में विवाद के पक्षकारों द्वारा किये गये व्यय और रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती को देय फीस तथा व्यय के संबंध में अभिनिर्णय देगा। ऐसा अभिनिर्णय केवल इस आधार पर अविधिमान्य न होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया गया और केवल उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 96 के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण को अपील किये जाने के अधीन रहते हुए, विवाद के पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

(2) माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की कोई बात ऐसे अभिदेश अथवा अपील पर लागू न होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रार या उसके नामांकित के अभिनिर्णय से क्षुब्ध हो, उस दिनांक से जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा अभिनिर्णय संसूचित किया जाय, तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई करने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह ठीक समझे।

अभिनिर्णय की धनराशि की वसूली

18—रजिस्ट्रार अथवा उसके नामांकिती द्वारा अथवा धारा 17 के अधीन सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और उसका निष्पादन अधिकारितायुक्त सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है।

किसी सहकारी समिति के बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बैंक की शक्ति

19—(1) यदि कोई सहकारी समिति, अपने सदस्यों द्वारा देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण, उस बैंक को जिससे उसने ऋण लिया है अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, तो बैंक ऐसी समिति की कमेटी को ऐसे सदस्यों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति की कमेटी बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अपने बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में चूक करे तो बैंक स्वयं ऐसे बाकीदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और उस दशा में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा उप विधियों के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में समिति अथवा उसकी कमेटी से संबंधित सभी अभिदेश बैंक के लिये अभिदेश हों।

(3) यदि किसी बैंक ने किसी सहकारी समिति के विरुद्ध जो उसकी ऋणी हो, डिक्री या अभिनिर्णय प्राप्त कर लिया हो तो बैंक ऐसी धनराशि को प्रथमतः सहकारी समिति की परिसंपत्तियों से तथा द्वितीय-सहकारी समिति के सदस्यों से, उस सीमा तक जहां तक उनके द्वारा समिति को ऋण देय हो, वसूल करने की कार्यवाही कर सकता है।

समितियों की लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच रिपोर्ट बैंकों को उपलब्ध होगी

20—रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को वित्त पोषित करने वाले बैंक का ध्यान उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 8 के अधीन ऐसी समिति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक लेखा-परीक्षा अथवा जांच या निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों की ओर आकर्षित करेगा और ऐसी लेखा परीक्षा, जांच अथवा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, यदि बैंक द्वारा लिखित रूप में मांगी जाय, उसे देगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

साहूकारी तथा कृषक ऋण अनुतोष से संबंधित विधायनों से छूट

21—साहूकारी अथवा कृषक ऋण अनुतोष से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात बैंक द्वारा किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता पर लागू न होगी ।

संयुक्त हिन्दू कुटुम्बों के प्रबन्धकों द्वारा निष्पादित बन्धक

22—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त बैंक के पक्ष में किया गया कोई बन्धक अथवा सृजित प्रभार ऐसे संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य पर बन्धनकारी होगा ।

(2) यदि बैंक के पक्ष में किये गये बन्धक अथवा सृजित प्रभार पर इस आधार पर कि वह संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिये सृजित किया गया था जो कृषि प्रयोजन नहीं था, अथवा किसी अन्य आधार पर कोई आपत्ति की जाय, तो उसे सिद्ध करने का भार ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार पर होगा ।

अधिनियम संख्या 32, 1956 की धारा 8 का परिष्कृत रूप में लागू होना

23—हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त किसी बैंक के पक्ष में बन्धक अथवा प्रभार के सम्बन्ध में इस परिष्कार के साथ लागू होगी कि उसमें न्यायालय के लिये अभिदेश को कलेक्टर अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत सहायक कलेक्टर को अभिदेश समझा जायगा और कलेक्टर अथवा ऐसे सहायक कलेक्टर के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जायगी ।

अधिनियम संख्या 36, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 का लागू होना

24—इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

25—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में अथवा एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और यदि उक्त अवधि में दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करना चाहें अथवा यदि दोनों सदन सहमत हों कि नियम न बनाया जाय तो वह नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावहीन हो जायगा किन्तु ऐसा परिष्कार अथवा अभिशून्यन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रभाव न डालेगा ।

अनुसूची

धारा 6(1) के अधीन घोषणा।

मैं,——————————(आयु——————————वर्ष)——————————

निवासी——————————————————————————बैंक से वित्तीय सहायता का स्वयं लाभ उठाने का इच्छुक होने के नाते उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6(1) की अपेक्षानुसार यह घोषणा करता हूं कि नीचे निर्दिष्ट भूमि का मैं,——————————स्वामी हूं। खातेदार के रूप में हित रखता हूं तथा मैं बैंक के पक्ष में एतद्द्वारा उक्त भूमि/भूमि के हित पर बैंक से वित्तीय सहायता पाने के लिये, जो बैंक दे तथा भविष्य में दी जाने वाली समस्त सहायता के लिये, यदि कोई हो, जो बैंक मुझे दे जिसमें उसका ब्याज, तथा लागत और उस पर होने वाले व्यय भी सम्मिलित हैं, एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूं।

गांव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या नगर सर्वेक्षण संख्या		सीमायें	
			गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा (प्लाट) हिस्सा	दक्षिण पूर्व	उत्तर पश्चिम

क्षेत्रफल		कर निर्धारण		लगभग मूल्य	भार ग्रस्तता, यदि कोई हो		अभियुक्ति, यदि कोई हो
एकड़	गुंठा	रु०	पै०		प्रकार	धनराशि	

इसके साक्ष्य में, मैं, श्री——————————आज——————————वार——————————

दिनांक——————————एक हजार नौ सौ——————————को हस्ताक्षर करता हूं।

साक्षी

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिनामांकित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त——————————

(1)

(2)

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित--

समादर सहित तहसीलदार को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार---------- के ब्योरों का अधिकार अभिलेख में सम्मिलित करने तथा बैंक को अपने अभिलेख में रखने हेतु उन्हें वापस करने के लिये सानुरोध अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेन्ट

----------बैंक----------

----------स्थान----------

समादर सहित प्रबन्धक/एजेन्ट----------बैंक को प्रत्यावर्तित घोषणा के अधीन सृजित प्रभार दिनांक----------19----------को अधिकार अभिलेख में यथाविधि सम्मिलित कर लिया गया ।

तहसीलदार

समादर सहित उप रजिस्ट्रार को घोषणा के अधीन सृजित----------प्रभार के ब्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने हेतु अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेन्ट

----------बैंक----------

----------स्थान----------

समादर सहित प्रबन्धक/एजेंट----------बैंक को प्रत्यावर्तित घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि अभिलिखित कर लिया गया है ।

उप रजिस्ट्रार ।

No. 3448 (2)/XVII-V—1-24-1973

Dated Lucknow, October 22, 1973

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Udhar Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 17, 1973:

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1973

[U. P. Act No. 19 of 1973]

(As Passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal)

AN

ACT

to make provisions to facilitate adequate flow of credit for agricultural production and development through banks and other institutional credit agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER 1

Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint in this behalf.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "agriculture" and "agricultural purpose" includes making land fit for cultivation, cultivation of land, improvement of land, including development of sources of irrigation, raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, piggery, poultry farming, seed farming, pisciculture, apiculture, sericulture and such other activities as are generally carried on by persons engaged in any of the aforementioned activities, including marketing of agriculture products, their storage and transport and the acquisition of implements and machinery in connection with any such activity;

(*b*) "agriculturist" means a person who is engaged in agriculture;

(*c*) "bank" means—

(i) a banking company, as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

(iii) a subsidiary Bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

(iv) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ;

(v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949;

(vi) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 ;

(vii) the U. P. State Agro-Industrial Corporation Limited a company incorporated under the Companies Act, 1956.

(viii) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956; and

(ix) any other financial institution notified by the State Government in the *Gazette* as a bank for the purpose of this Act;

(*d*) "Co-operative Society" means a Co-operative society registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, the object of which is to provide financial assistance to its members, and includes a co-operative land development bank ;

(*e*) "financial assistance" means assistance granted by way of loan, advance, guarantee or otherwise (i) either to an agriculturist for agricultural purposes or (ii) to a Co-operative Society for enabling it to grant loans and advances to its members for agricultural purposes ;

(*f*) "law relating to land tenures" means the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Urban Areas and Land Reforms Act, 1956, the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 or the U. P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, as amended from time to time;

(*g*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

CHAPTER 2

Rights of agriculturists to alienate land or interest in land in favour of banks

Vesting of rights of alienation on agriculturists not having such rights.

3. The State Government may, by notification in the *Gazette*, vest, subject to such restrictions as may be specified in the notification, all *sirdars*, *asamis* or Government lessees or any class of *sirdars*, *asamis* or Government lessees with rights of alienation in land held under their tenure or any interest in such land, including the right to create a charge or mortgage on such land or interest, in favour of banks generally or any specified class of banks for the purpose of obtaining financial assistance from such banks, and upon the issue of such notification, such *sirdars*, *asamis* or Government lessees shall, notwithstanding anything contained in the law relating to land tenures or in the Government Grants Act, 1895 (as amended in its application to Uttar Pradesh) any other law or in any contract, grant or other instrument to the contrary, have a right of alienation in accordance with the terms of the notification.

Charge on crop and other movable property in favour of a bank.

4. (1) It shall be lawful for an agriculturist to create a charge on the movable property owned by him or on the crops raised by him, standing or otherwise, or other produce from land cultivated by him, to the extent of his interest therein, in favour of a bank to secure financial assistance from that bank, notwithstanding that he may not be owner of the land on and from which the crop is raised.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in section 39 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or any other law for the time being in force, no charge in respect of any debt or other outstanding demand due to a co-operative society from an agriculturist shall have priority over a charge on the crop raised by him, standing or otherwise, or any other movable property in respect of any financial assistance given to him by a bank provided the financial assistance made by the bank is prior in point of time to the debt or demand of the co-operative society.

Distraint and sale of produce and movables.

5. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a bank may distrain and sell through an official of the State Government, authorised in that behalf by the State Govenment by notification in the *Gazette* the crop or other produce or other movables charged in favour of the bank to the extent of the agriculturist's interest therein, and after satisfying the Government dues or other prior charges, if any, appropriate the proceeds of such sale to the extent of the moneys due to it from the agriculturist and in such case the remainder, if any, shall be paid to the agriculturist.

Creation of charge on land in favour of a bank by declaration.

6. (1) Where an agriculturist creates a charge on land, or any other immovable property which he owns or in which he has an interest to secure any financial assistance given to him by a bank, he may make a declaration on a duly stamped paper in the form set out in the Schedule or as near thereto as circumstances permit, declaring that thereby he creates in favour of the bank a charge on such land or his interest therein or other immovable property, as the case may be.

(2) A declaration made under sub-section (1) may be varied from time to time by the agriculturist with the consent of the bank in whose favour the declaration has been made.

CHAPTER 3

Charges and mortgages in favour of banks and their priorities

Removal of disability in creation of charges and mortgages.

7. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 39 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or section 22 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Bank Act, 1964 or any other law for the time being in force and notwithstanding that any land or interest therein stands already charged or mortgaged to a co-operative society, it shall be lawful for an agriculturist to create a charge or mortgage on such land or interest therein in favour of a bank as security for any financial assistance given to the agriculturists by that bank.

Priority of charges and mortgages in favour of Government, a bank and a co-operative society.

8. (1) Notwithstanding anything to the contrary in section 39 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or section 18 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964 or any other law for the time being in force—

(*a*) any charge or mortgage created on any land or interest therein in favour of Government shall have priority over any other charge or mortgage that may have been created on such land or interest by an agriculturist in favour of a bank or co-operative society prior to the date the charge or mortgage was created in favour of the Government;

(*b*) any charge or mortgage created on any land or interest therein in favour of a bank in respect of financial assistance given to an agriculturist by that bank shall have priority over any other charge or mortgage that may have been created on such land or interest in favour of any person other than Government, a co-operative society or any other bank, prior to the date on which the charge or mortgage was created in favour of that bank;

(*c*) where different charges or mortgages over the same land or interest therein have been created by an agriculturist in favour of a co-operative society or a bank or more than one bank, any such charge or mortagage created as security for financial assistance given by the co-operative society or the bank or banks by way of term loan for development purposes shall have priority over the other charges or mortgages created in favour of the co-operative society or any of the banks, provided prior notice of any such financial assistance by way of term loan for development purposes had

been given to such co-operative society or bank and such co-operative society or bank had concurred in such financial assistance, and where more than one such charge or mortgage is created as security for financial assistance given by way of term loan, the charges or mortgages by way of security for term loan for development purposes shall rank for priority in accordance with the dates of their creation.

Explanation—For the purposes of this section, "term loan for development purpose" means financial assistance which would generally lead to improvement of agriculture or building up of assets in agriculture but does not include financial assistance for meeting working capital expenses, seasonal agricultural operations and marketing of crops.

(2) Nothing in this section shall apply to borrowings only from one or more co-operative societies, including land development banks or the State Land Development Bank as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964.

Registration of charge and mortgage in favour of banks.

9. (1) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, a charge in respect of which a declaration has been made under sub-section (1) of section 6 or in respect of which a variation has been made under sub-section (2) of that section, or a mortgage of any land or interest therein or other immovable property executed by an agriculturist in favour of a bank in respect of financial assistance given by that bank, shall be deemed to have been duly registered in accordance with the provisions of that Act with effect from the date of execution of such charge, variation or mortgage, as the case may be, provded the bank has sent to the Sub-Registrar within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property charged or mortgaged is situate, within a period of one month from the date of such execution, by registered post acknowledgment due, a copy of the document creating such charge, variation or mortgage duly certified to be a true copy by an employee of the bank authorised to sign on its behalf and the Sub-Registrar has filed it in Book No. 1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(2) The Sub-Registrar receiving a declaration in respect of charge, variation or mortgage referred to in sub-section (1) shall, as immediately as practicable on receipt thereof, and after ascertaining that the document containing the declaration, variation or mortgage, as the case may be, has been made on a duly stamped paper, file its copy in Book No.1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(3) Where the Sub-Registrar is of opinion that the declaration, variation or mortgage, as the case may be, has not been made on a duly stamped paper, he shall send back the copy of the document to the bank requiring it to get the deficiency in stamp duty made good by the agriculturist within thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf.

(4) After the deficiency in stamp has been made good, the Bank shall send the copy of the document again to the Sub-Registrar in the manner laid down in sub-section (1) and thereupon the Sub-Registrar shall file the copy in Book no. 1 in accordance with the provisions of sub-section (2).

(5) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, it shall not be necessary for the agriculturist or any officer of the bank to appear in person or by agent in any registration office in any proceeding connected with the registration of the document or to sign as provided in section 58 of the said Act.

Restrictions on creation of tenancy by an agriculturist borrower.

10. (1) Notwithstanding anything contained in any law relating to land tenures or any other law for the time being in force, an agriculturist who has availed himself of financial assistance from a bank by creating a charge or mortgage on land or interest therein shall not, so long as the financial assistance continues to be outstanding, lease or create any tenancy rights on such land or interest therein without prior permission in writing of the bank nor shall any such rights accrue to any person during that period by reason of unauthorised occupation or adverse possession over such land or interest.

(2) Any lease granted or tenancy rights created in contravention of this section shall be void.

CHAPTER 4

Recovery of dues by banks

Recovery of dues of a bank through a prescribed authority.

11. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, an officer specified by the State Government by notification in the *Gazette* (hereinafter referred to as the prescribed authority) may, on the application of a bank, make an order on any agriculturist or his heir or legal representative, directing the payment of any sum due to the bank on account of financial assistance given to the agriculturist, by the sale of any land or any interest therein which is charged or mortgaged for the payment of such money :

Provided that no order of sale shall be made under this sub-section unless the agriculturist or the heir or legal representative of the agriculturist, as the case may be, has been served with a notice by the prescribed authority calling upon him to pay the amount due.

(2) An order passed by the prescribed authority shall, subject to the result of appeal under section 12, be final and be binding on the parties.

(3) Every order passed by the prescribed authority in terms of sub-section (1) or by the appellate authority under section 12 shall be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court by the civil court having jurisdiction.

(4) No suit for the recovery of any sum due to a bank on account of financial assistance given to an agriculturist shall lie in the civil court.

Appeal.

12. (1) Any party aggrieved by an order of the prescribed authority under section 11 may, within a period of thirty days from the date of the order prefer an appeal to such appellate authority as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The appellate authority may, after giving an opportunity of hearing to the parties, pass such order as it think fit.

CHAPTER 5

Financing of Co-operative Societies by banks

Definition of Registrar.

13. In this Chapter, Registrar means the Registrar of Co-operative Societies, Uttar Pradesh, and includes, except where the context otherwise requires, any other officer exercising the powers of Registrar of Co-operative Societies under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

Inspection of books of a co-operative society by a bank.

14. (1) A bank shall have the right to inspect the books of any co-operative society which has either applied to the bank for financial assistance or is indebted to the bank on account of financial assistance granted earlier.

(2) The inspection may be carried out by an officer or any other member of the paid staff of the bank with the previous sanction in writing of the Registrar.

(3) Such officer or other member of the staff of the bank, shall, at all reasonable times, have access to the books of accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the co-operative society and shall also be supplied by such society such information, statements and returns as may be required by him to assess the financial condition of the society and the safety of financial assistance made or proposed to be made to the society.

Disputes between a bank and a co-operative society.

15. (1) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or any other law for the time being in force, any dispute touching the constitution, management or the business of a co-operative society, between a bank giving financial assistance to a Co-operative Society and the Co-operative Society receiving such assistance, other than disputes regarding the disciplinary action taken by the society or its committee against a paid employee of the society, shall be referred by either of the parties to the dispute to the Registrar for decision.

(2) Where any question arises whether, for purposes of the foregoing sub-section, a matter referred to for decision is a dispute or not, the question shall be decided by the Registrar whose decision shall be final.

Settlement of disputes.

16. (1) If the Registrar is satisfied that any matter referred to him or brought to his notice is a dispute within the meaning of section 15, the Registrar shall decide the dispute himself or refer it for disposal to any other officer nominated by him.

(2) Where any dispute is referred under the foregoing sub-section for decision to the Registrar's nominee the Registrar may at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such dispute from his nominee and may decide the dispute himself or refer it again for decision to any other officer nominated by him.

(3) The Registrar may, if he is of the opinion that the question at issue between a co-operative society and a bank is one involving complicated question of law and fact, by order stay action under sub-section (1), until the question has been tried by a regular suit instituted by one of the parties to the dispute. If, however, no suit is instituted within two months of such order, the Registrar shall take action as is provided in sub-section (1).

Decision of Registrar or his nominee.

17. (1) When the dispute is referred for decision, the Registrar or his nominee may, after giving a reasonable opportunity to the parties to the dispute to be heard, make an award in respect of the dispute, the expenses incurred by the parties to the dispute in connection with the proceedings and fees, expenses payable to the Registrar or his nominee. Such an award shall not be invalid merely on the ground that it was made after the expiry of the period fixed for deciding the dispute by the Registrar and shall, subject only to appeal to the Co-operative Tribunal constituted under section 96 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, be binding on the parties to the dispute.

(2) Nothing in the Arbitration Act, 1940, shall apply to such reference or appeal.

(3) Any person aggrieved by an award of the Registrar or his nominee may within thirty days after the date on which the award is communicated to such person appeal to the Tribunal.

(4) The Tribunal after hearing an appeal under this section may pass such order as it may deem just.

Recovery of money award.

18. Every award given by the Registrar or his nominee or on appeal by the Co-operative Tribunal under section 17, shall be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court by the civil court having jurisdiction.

Powers of a bank to proceed against defaulting members of a co-operative society.

19. (1) If a co-operative society is unable to pay its debts to a bank from which it has borrowed, by reason of its members defaulting in the payment of the moneys due by them, the bank may direct the committee of such society to proceed against such members by taking action under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

(2) If the committee of the co-operative society fails to proceed against its defaulting members within a period of ninety days from the date of receipt of such direction from the bank, the bank itself may proceed against such defaulting members, in which event, the provisions of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, the rules and the bye-laws made thereunder shall apply as if all references to the society or its committee in the said provisions, rules and bye-laws were references to the bank.

(3) Where a bank has obtained a decree or award against a co-operative society indebted to it the bank may proceed to recover such moneys firstly from the assets of the co-operative society and secondly from the members of the co-operative society to the extent of their debts due to the society.

Audit inspection and inquiry reports of societies to be available to banks.

20. The Registrar shall draw the attention of the bank financing a co-operative society to the defects noticed in every audit or inquiry or inspection of such society conducted under Chapter VIII of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and shall also supply a copy each of such audit, inquiry or inspection report if demanded, in writing, by the bank.

CHAPTER 6

Miscellaneous

Exemption from legislations relating to money-lending and agriculturists' debt relief.

21. Nothing in any law for the time being in force dealing with money-lending or agriculturists' debt relief shall apply to financial assistance given to an agriculturist by a bank.

Mortgage executed by managers of joint Hindu families.

22. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a mortgage or charge created after the commencement of this Act by the Karta of a joint Hindu family in favour of a bank for securing financial assistance shall be binding on every member of such joint Hindu family.

(2) Where a mortgage or charge created in favour of a bank is called in question on the ground that it was created by the manager of a join Hindu family for a purpose which was not an agricultural purpose or on any other ground, the burden of proving the same shall lie on the party alleging it.

Modified application of section 8 of Act XXXII of 1956.

23. Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, shall apply to a mortgage or charge in favour of a bank for securing financial assistance, subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the Collector or an Assistant Collector authorised by the Collector in that behalf and the appeal against the order of the Collector or such Assistant Collector shall lie to the Commissioner.

Application of sections 4, 5 and 12 of Act no. 36 of 1963.

24. The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall *mutatis mutandis* apply to all proceedings under this Act.

Power of State Government to make rules.

25. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or more than one successive sessions and if, during the said period both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULE

Declaration under section 6(1)

I,..... (aged.....years) residing at....., being desirous of availing myself of financial assistance from the.....bank make this declaration as required by section 6(1) of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, that I,....., own/have interest as a tenant in the land specified below, and I hereby create a charge on the said land/interest in land in favour of the bank for securing the financial assistance which the bank may make and for all future assistance, if any, which the bank may make to me together with interest and costs and expenses thereon :

Name of village	Name of Pargana and Tahsil	Name of District	Survey no. City survey no.		Boundaries		Area	
			Plot no.	Plot Hissa	South-East	North-West	Acre	Gunthas

Assessment		Approximate value	Encumbrances,		Remarks, if any
Rupees	Paise		Nature	Amount	

In witness whereof, I, Sri..... hereunder set my hand this.....day of..... .....in the year one thousand nine hundred and .....

Witnesses:

Signed and delivered by the above named in the presence of:

(1)

(2)

Signature of declarant.

Attested by

Forwarded with compliments to the Tahsildar with a request to include the particulars of the charge.....created under the declaration in the Record of Rights and to return to the bank for its record.

Manager/Agent,

.....Bank,

Place.....

Returned with compliments to the Manager/Agent .....Bank. The charge created under the declaration is duly included in the Record of Rights on the..... .....day of .....,19 .....

Tahsildar.

Forwarded with compliments to the Sub-Registrar with a request to record the particulars of the charge .....created under the declaration in his office.

Manager/Agent,

.....Bank.

Place.....

Returned with compliments to the Manager/Agent.....Bank. The charge created under the declaration is duly recorded.

Sub-Registrar.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

बी० एस० पू० पी०—ए० पी०—96 जनरल लग—1973—350 (मे०).